संख्या:37/2024/148/35-1-2024

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त,
प्रयागराज, वाराणसी, विन्ध्याचल, आजमगढ़, गोरखपुर, देवीपाटन, अयोध्या, बस्ती, झांसी एवं चित्रकूट धाम मण्डल।
3. जिलाधिकारी,
प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, बाराबंकी, सुलतानपुर, अम्बेडकरनगर, अमेठी, गोरखपुर, कुशीनगर, महराजगंज, देवरिया, वाराणसी, चन्दौली, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, मीरजापुर, भदोही, सोनभद्र, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा तथा हमीरपुर।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक: 06 फरवरी, 2024

विषय: संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के प्रस्तर 8.4 एवं 8.7 में संशोधन किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल / बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थित जनपदों में अन्तर क्षेत्रीय विषमताओं एवं पिछड़ेपन को कम करने तथा संतुलित विकास के उद्देश्य से संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/ बुन्देलखण्ड) निधि से सम्बन्धित मार्गदर्शी सिद्धान्त का प्रतिपादन शासनादेश संख्या- 1337/35-5-2002-8(74)/2000-170, दिनांक 19 सितम्बर, 2002 द्वारा किया गया है। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-499/23-14-2010-73 जनरल/2010, दिनांक 10 मई, 2010 द्वारा उक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त के प्रस्तर-5.2, 5.3, 5.4.2 एवं 7.4 में संशोधन किया गया। तदोपरान्त मार्गदर्शी सिद्धान्त से सम्बन्धित उक्त शासनादेश दिनांक 19.09.2002 के प्रस्तर-8 के उपप्रस्तर-8.1, 8.3, 8.4 एवं 8.7 में शासनादेश संख्या-163/2020/515/तेइस-14-2020-4(जनरल)/2020 दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 द्वारा संशोधन किया गया है।

2- उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-163/2020/515/तेइस-14-2020-4(जनरल)/2020 दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 के प्रस्तर-8 के उप प्रस्तर-8.4 एवं 8.7 में निम्नवत् संशोधन किया जाता है-

वर्तमान व्यवस्था	**संशोधित व्यवस्था**
प्रस्तर-8-विधान परिषद/विधान सभा के सदस्यों की सहभागिता	**प्रस्तर-8-विधान परिषद/विधान सभा के सदस्यों की सहभागिता**
उप प्रस्तर-8.4 स्थानीय निकाय से चुनकर आये विधान परिषद सदस्य जो किसी एक जनपद का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें उक्त जनपद ही आवंटित किया जायेगा। उनकी सहभागिता उस जनपद में विधान सभा सदस्यों के समान ही होगी। ऐसे विधान परिषद सदस्य जिनका एक से अधिक जनपदों में निर्वाचन क्षेत्र स्थित है , उन्हें उनके गृह जनपद को जिला निधि योजनाओं की संस्तुति हेतु निर्धारित कर दिया जायेगा तथा आवंटित जनपद में विधान सभा सदस्यों की	**उप प्रस्तर-8.4** **स्थानीय निकाय से चुनकर आये विधान परिषद सदस्य जो किसी एक जनपद का प्रतिनिधित्व करते हैं , उन्हें उक्त जनपद ही आवंटित किया जायेगा। उनकी सहभागिता उस जनपद में विधान सभा सदस्यों के समान ही होगी।** **ऐसे विधान परिषद के मा0 सदस्य, जिनका गृह जनपद से पृथक एक से अधिक जनपदो में निर्वाचन क्षेत्र है। उन विधान परिषद के मा0 सदस्यों द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र में से किसी एक जनपद को संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल /बुन्देलखण्ड) निधि**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
सहभागिता के समान इन विधान परिषद सदस्यों की सहभागिता रहेगी।	**के जिलांश हेतु नोडल जनपद का चयन किया जा सकेगा। इसकी सूचना मा0 सदस्य द्वारा सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी को दी जायेगी। चयनित नोडल जनपद में विधान सभा सदस्यों की सहभागिता के समान ही इन विधान परिषद सदस्यों की सहभागिता रहेगी।**
उप प्रस्तर 8.7- जो मा0 विधान परिषद सदस्य एक से अधिक जनपद मण्डल आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें उनके गृह जनपद को जिला निधि योजनाओं की संस्तुति हेतु निर्धारित कर दिया जायेगा तथा आवंटित जनपद में विधान सभा सदस्यों की सहभागिता के समान इन विधान परिषद सदस्यों की सहभागिता रहेगी।	**उप प्रस्तर 8.7- जो मा0 विधान परिषद सदस्य अपने गृह जनपद से पृथक एक से अधिक जनपद मण्डल आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके द्वारा अपने प्रतिनिधित्व वाले जनपदों में से किसी जनपद को संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल /बुन्देलखण्ड) निधि के जिलांश हेतु नोडल जनपद का चयन किया जा सकेगा। इसकी सूचना मा0 सदस्य द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी/ मण्डलायुक्त को दी जायेगी। चयनित नोडल जनपद में विधान सभा सदस्यों की सहभागिता के समान इन विधान परिषद सदस्यों की सहभागिता रहेगी।**

2- यह संशोधन तत्कालिक प्रभाव से लागू होंगे। उक्त शासनादेश दिनांक 01.10.2020 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या:37/2024/148(1)/35-1-2024 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0।
7. नियोजन विभाग के समस्त अधिकारीगण।
8. समस्त अनुभाग, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
10. लोक निर्माण अनुभाग-14
11. सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग-1
12. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
13. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
14. समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in